कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला धार (म. प्र.)

☎ (Off) 07292-234702, (Resi) 07292-234701, (Fax) 07292-234711
Email - dmdhar@mp.nic.in

क्र. 16395/ S.W/017 धार, दि. 7/12/017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है । कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है, और घायल हो जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है । इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है । चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु–पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः धार जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान–माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं **श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी, जिला धार** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु धार जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. यह कि धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में **चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया जाता है ।**

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 08.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 08.12.2017 से दिनांक 08.02.2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(जिला दण्डाधिकारी जिला धार द्वारा अनुमोदित)

(डी.के. नागेन्द्र)
अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला धार म.प्र.

पृ0क्रमांक /16396/एस.डब्लयु./2017 धार, दिनांक 7.12.017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला धार।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार ।
6. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, धार की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, ग्रामीण एवं शहरी धार/मनावर/बदनावर/कुक्षी/सरदारपुर ।
8. नगर पुलिस अधीक्षक, धार एवं पीथमपुर जिला धार।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, धार की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, धार ।

अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला धार म.प्र.